महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ

वाराणसी

सूचना का अधिकार अधिनियम – २००५ से सम्बन्धित सूचना

डा० रमाशंकर राम
कुलसचिव/सूचना अधिकारी

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी
(NAAC Accredited University)
सूचना का अधिकार नियम – २००५ सम्बन्धी सूचनायें

अधिनियम की धारा ४ (१) (बी) में उल्लिखित विभिन्न बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना निम्नलिखित है।

(i) संस्था का नाम : महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,वाराणसी
स्थापना वर्ष : १४ जनवरी १९७४

संस्था की शक्तियाँ तथा कर्तव्य – विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कर्तव्य है।

(१) ऐसे विषयों में शिक्षण की व्यवस्था करना जिन्हें विश्वविद्यालय ठीक समझे तथा अनुसंधान कार्यो और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना,

(२) किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार प्रदान करना अथवा पहले से ही यथास्थिति, सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना अथवा उसमें कमी करना और सम्बद्ध तथा सहयुक्त महाविद्यालय का मार्गदर्शन करना तथा उनके कार्य का नियन्त्रण करना,

(३) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को संक्षिप्त करना

(४) ऐसे व्यक्तिओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को ऐसे व्यक्तियों को प्रदान करना एवं सम्प्रदान करना।

(क) जिन्होंनें विश्वविद्यालय में या किसी घटक महाविद्यालय में या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में अथवा किसी सहयुक्त कालेज में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, या

(ख) जिन्होंने विश्वविद्यालय में, या विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी संस्था में या स्वतन्त्र रुप से, परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्य किया हो, या

(ग) जिन्होंनें पत्राचार द्वारा चाहे विश्वविद्यालय के क्षेत्र में या उसके बाहर निवास करके किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो और जो ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित की जायें, वाहक अभ्यर्थियों के रुप में विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रीकृत किये गयें हो, या

(घ) जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय में या किसी संस्थान में या किसी घटक सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में या अन्य शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक या अन्य कर्मचारी हों अथवा राज्य सरकार के शिक्षण विभाग में नियोजित निरीक्षण अधिकारी हों, और जिन्होंनें परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन निजी रुप से अध्ययन किया हो,या

(ङ) जो विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास करने वाली महिलायें हो और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तो के अधीन निजी रुप से अध्ययन किया हो,या

(च) जो नेत्रहीन हों और विश्वविद्यालय क्षेत्र में निवास करते हों और जिन्होंनें परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन निजी रुप से अध्ययन किया हो।

(५) विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास करने ऐसे व्यक्तिओं के लिए जिन्होंनें परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तो के अधीन निजी रुप से अध्ययन किये हों, परीक्षायें लेना और उन्हें बैचलर ऑफ आर्ट्स या कामर्स अथवा मास्टर ऑफ आर्ट्स या कामर्स की उपाधि प्रदान करना।

(६) परिनियमों में अधिकथित रीति तथा शर्तो के अधीन सम्मानित उपाधियों अथवा अन्य शिक्षा सम्बन्धी विशिष्टतायें प्रदान करना।

(७) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हो, डिप्लोमा देना और उनके लिए ऐसे व्याखानों तथा शिक्षण की व्यवस्था करना जिसे विश्वविद्यालय अवधारित करे।

(८) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनो के लिए सहकार्य या सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे।

(९) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन - पदों को संस्थित करना तथा ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना।

(१०) छात्र निवास में शिक्षण देने के लिए अध्यापकों को मान्यता देना।

(११) महाविद्यालयों की सम्बद्धता या मान्यता सम्बन्धी शर्ते अधिकथित करना और समय समय पर निरीक्षणों द्वारा या अन्यथा अपना यह समाधान करना कि ऐसी शर्त पूरी की जा रही है।

(१२) परिनियमों तथा अध्यादेशो के अनुसार छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों (जिनके अन्तर्गत यात्रिक अधिछात्रवृत्तियां भी है), विद्यावृत्तियों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना,

(१३) छात्र निवासों तथा छात्रावासों को संस्थित तथा पोषित करना और विश्वविद्यालय संस्थानों या घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता देना।

(१४) ऐसी फीस और अन्य प्रभार मांगना तथा प्राप्त करना जो अध्यादेशों द्वारा नियत किए जाएं।

(१५) विश्वविद्यालयों, संस्थान तथा घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण करना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य सुधार के लिये व्यवस्था करना।

(१६) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियाँ करना, तथा

(१७) विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित ऐसे सभी कार्य करना, चाहे वे उपयुक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हों।

(ii) **विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं इनके अधिकार तथा कर्त्तव्य :-**

विश्वविद्यालय के अधिकारी :- महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के निम्नलिखित अधिकारी है।

- कुलाधिपति
- कुलपति
- प्रति-कुलपति
- वित्त अधिकारी
- कुलसचिव
- परीक्षा नियन्त्रक
- संकायों के सकायाध्यक्ष
- अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
- ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य :-

- **कुलाधिपति :** (१) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति है। वे अपने

पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान तथा सभा का सभापति होतें हैं और उनके उपस्थित होने पर वे अधिवेशनों और विश्वविद्यालयों के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेंगें।

(२) सम्मानित उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगी।

(३) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख जिन्हें कुलाधिपति मांगें, प्रस्तुत करें।

(४) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ होगी,जो उन्हें इस अधिनियम या परिनियम द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जाये।

- **कुलपति :** (१) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा, और–

(क) विश्वविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा पोषित घटक महाविद्यालय तथा संस्थान भी है और उससे सम्बद्ध तथा सहयुक्त महाविद्यालयों के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखना।

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करना।

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालयों के किसी दिक्षान्त समारोह का सभापतित्व करना।

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होना,

(ङ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का समुचित ढ़ंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी परीक्षओं का परीक्षाफल शींघ्रता से प्रकाशित किया जाना और विश्वविद्यालय का विद्या सत्र समुचित दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त होता है, का उत्तरदायित्व कुलपति का होगा।

(२) कुलपति कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(३) कुलपति विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदान न होगा।

(४) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशो के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और (धारा १० तथा ६८ के अधीन) कुलाधिपति के शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उस निमित्त आवश्यक हो।

(५) कुलपति को कार्य परिषद,सभा,विद्या परिषद तथा वित्त समिति के अधिवेशना को बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी, (परन्तु वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा)

(६) जहाँ (विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी से भिन्न) कोई ऐसाा अत्यावश्यक मामला है जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही की जा सके, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिर्पोट वह कुलधिपति या ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण क्रम में मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते :

परन्तु यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नही करेंगा,

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो तो ऐसी कार्यवाही नही की जानी चाहिये थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा कि गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित रुप में

प्रभावी होगी, किन्तु किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस तिथि से जब तक उसे ऐसे कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, तीन मास के भीतर कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(७) उपधारा (६) में की गयी किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय करने के लिये सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रुप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।

(८) जहाँ कुलपति द्वारा उपधारा (६) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की नियुक्ति की गयी हो, तो ऐसी नियुक्ति, विहित रीति से नियुक्ति की जाने पर अथवा कुलपति के आदेश की तिथि से छह मास की कलावधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।

(६) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जायें।

- **प्रति-कुलपतिः**

(१) यह धारा केवल लखनऊ,इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय को और किसी अन्य विश्वविद्यालय को लागू होती है जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें।

(२) यदि कुलपति आवश्यक समझें तो विश्वविद्यालय के आचार्यो में से किसी एक को प्रति कुलपति नियुक्त कर सकेगा।

(३) उपधारा (२) के अधीन नियुक्त प्रति कुलपति अपने कर्तव्यों का पालन आचार्य के रुप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त करेगा।

(४) प्रति कुलपति कुलपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

(५) प्रति कुलपति को तीन सौ रुपये प्रति मास मानदेय मिलेगा।

(६) प्रति कुलपति, ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा, जिन्हें कुलपति समय समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे तथा कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जिन्हें कुलपति उसे सौपें तथा प्रत्यायोजित करें।

- **वित्त अधिकारी :**

(१) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके करेगी तथा उसके पारिश्रामिक तथा भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

(२) वित्त अधिकारी, सभा के समक्ष बजट (वार्षिक अनुदान) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों को निकालने और वितरित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(३) उसे कार्य परिषद् मे बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(४) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होगें :-

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय, जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाए,

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना,जो परिनियमों तथा अध्यादेशों के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो,

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना,

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पति तथा विनिधानों का सम्यक् रुप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है।

(५) वित्त अधिकारी की पहुँच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी, तथा वह उन्हें प्रस्तुत करेगा और विश्वविद्यालय के कार्य कलापों से सम्बन्धित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(६) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदाये करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(७) वित्त अधिकरी की अन्य शक्तियां तथा कृत्य वे होगें, जो विहित किए जायें।

- **कुलसचिव** (रजिस्ट्रार) :

(१) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(२) धारा १७ के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार कुलसचिव की नियुक्ति की जायेगी और उसकी सेवा की शर्ते उनके अधीन होंगी।

(३) कुलसचिव को विश्वविद्यालय के अभिलेखों अधिप्रामाणित करने की शक्ति होगी।

(४) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्य परिषद् सभा (विद्या परिषद् प्रवेश समिति और परीक्षा समिति) तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा तथा वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यो का भी पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें या कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय समय पर अपेक्षित हो किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न हो।

(५) कुलसचिव को धारा १७ के अधीन बनाये गये नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रामिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

- **परीक्षा नियन्त्रक :**

(१) यह धारा केवल लखनऊ,इलाहाबाद, गोरखपुर और कानपुर विश्वविद्यालयों पर तथा उन अन्य विश्वविद्यालयों पर लागू होंगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए।

(२) परीक्षा नियन्त्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(३) परीक्षा नियन्त्रक की राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित कर नियुक्ति होगी तथा उसके पारिश्रामिक एवं भत्ते का विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(४) परीक्षा नियन्त्रक अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह सभी ऐसी सूचनायें जो उसके कार्य संचालन हेतु आवश्यक हो, ऐसी समिति के समक्ष रखेगा। वह समय समय पर कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा निर्गत परिनियमों एवं अध्यादेशों में विहित ऐसे अनय दायित्वों का निर्वहन करेगा जैसा आवश्यक हो।

परन्तु इस उपधारा के आधार पर वह मत देने के अधिकारी न होगा। वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जैसा आवश्यक हो, विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय या संस्था से विवरणी प्रस्तुत करने या ऐसी सूचना देने, जैसी आवश्यक हो, की अपेक्षा कर सकेगा।

(५) परीक्षा नियन्त्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियन्त्रण रखेगा तथा इस सम्बन्ध में उसमें कुलसचिव की सभी शक्तियां निहित रहेगी।

(६) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अधीन परीक्षा नियन्त्रक परीक्षाओं का सम्पादन करेगा तथा उसकी सभी अन्य

व्यवस्थाएं करेगा तथा उससे सम्बन्धित सभी आदेशिकाओं के निष्पादन हेतु उत्तरदायी होगा

(७) परीक्षा नियन्त्रक विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए, राज्य सरकार के आदेश के सिवाय न तो कोई पारिश्रामिक प्रस्तावित करेगा, न ही स्वीकार करेगा।

(८) जब परीक्षा नियन्त्रक किन्हीं कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियन्त्रक पद पर रिक्त हो तो, परीक्षा नियन्त्रक के कार्य पर वापस आने या रिक्ति के भरने (जैसी भी स्थिति हो) तक उसके पद के सभी कर्तव्यों/दायित्वों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया हो।

- **कुलसचिवों, उप-कुलसचिवों तथा सहायक कुलसचिवों की सेवा का केन्द्रीयकरण**

(१) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बनाकर कुलसचिवों, उप कुलसचिवों तथा सहायक कुलसचिवों की एक ऐसी पृथक सेवा के सृजन का उपबन्ध करेगी जो समस्त विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य होगी तथा ऐसी किसी से सेवा में भर्ती को तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करेगी, (परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई नियम पूर्वगामी दिनांक से, जो ३१ अक्टूबर १९७५ से पूर्व न हो, बनाया जा सकता है।)

(२) जब ऐसी कोई सेवा सृजित की जाए, तो (कुलसचिव,उप-कुसचिव तथा सहायक कुलसचिव के प्रशासनिक पदों पर) तत्समय सेवारत सभी व्यक्ति जो यदि दिनांक १४ मई, १९७३ से पूर्व स्थायी किए जा चुकें हो तो उक्त सेवा में अन्तिम रुप से आमेलित कर लिए जायेगें तथा उक्त पदों पर तत्समय सेवा करने वाले अन्य व्यक्ति यदि उपयुक्त पाए जायें, तो उक्त सेवा में अस्थायी या अन्तिम रुप से आमेलित नहीं किया जाता तो उसकी सेंवायें एक मास का वेतन प्रतिकर के रुप में संदत्त किये जाने पर समाप्त समझी जायेगी।

(३) जहाँ उपधारा (२) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को सेवा में आमेलित किया जाए तो उसे लागू होने वाली की शर्ते, उसके आमेलित किए जाने के पूर्व उस पर लागू शर्तो से, सिवाय इसके कि उसका एक विश्वविद्यालय

से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकेगा, कम लाभकारी न होगी, (परन्तु सेवा में इस प्रकार के आमेलन से ऐसे आमेलन की तिथि के पूर्व किए गये किसी कार्य के सम्बन्ध में सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने या जारी रखने के लिए कोई रोक नही होगी।)

(४) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कम से कम तीस दिन की कुल कालावधि लिए जो उसके एक सत्र में या एक से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो सकती है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद की तिथि नियत न की जायें, गजट में प्रकाशित होने की तिथि से ऐसे उपान्तरो या निरस्तीकरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिए सहमत हो जायें किन्तु ऐसे उपान्तरित या निरस्त होने से उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

- **अन्य अधिकारी :** कुलाधिपति,कुलपति, प्रति - कुलपति,(वित्त अधिकारी, कुलसचिव तथा परीक्षा नियन्त्रक(यदि कोई नियुक्त हों) से भिन्न विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जायें।

(iii) निर्णय लेने की प्रक्रिया, निरीक्षण के माध्यम एवं उत्तरदायित्व :- महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्रावधानो के अन्तर्गत महामहिम कुलाधिपति विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी है। इनके अतिरिक्त प्रति कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक विश्वविद्यालय के मुख्य अधिकारी हैं जो अधिनियम में अधिलिखित दायित्वों का निर्वहन करते है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् सर्वोच्च निकाय है, जिसके निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक विभागों के कार्य - कलापों का संकायाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों के निर्देशन में कार्य का संपादन होता है। मुख्य नियन्ता, छात्रावास अभिरक्षक एवं अधिष्ठाता, छात्र कल्याण छात्रों से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण एवं नियंत्रण रखतें हैं। तृतीय एवं चर्तुथ संवर्ग कर्मचारी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते है, तथा इस प्रकार विश्वविद्यालय एक परिवार की तरह कार्य करता है।

(iv) विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यो को सम्पादित करने हेतु अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेशों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कार्यो का प्रतिपादन होता है।

(v) विश्वविद्यालय के विभिन्न पत्रावलीयों का शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरुप ही रख-रखाव सम्बन्धित विभागों/अनुभागों/कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है।

(vi) विश्वविद्यालय में मुख्य्य रुप से निम्नलिखित प्रकार के रिकार्ड रखे जाते हैं-

- **वित्त विभाग से सम्बन्धित रिकार्ड :** कैश बुक, लेजर, बजट, बाउचर्स, इन्वेस्टमेन्ट पंजिका, बजट कन्ट्रोल व भुगतान पंजिका, आय पंजिका, व्यय पंतिका, पेन्शन, पी०एफ०, बीमा, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, चेक बुक, बैंक स्टेटर्मेन्ट, अनुबन्ध इत्यादि। इसके लिए वित्त अधिकरी, उप कुलसचिव (वित्त), सहायक कुलसचिव (वित्त), कार्यालय अधीक्षक (वित्त), तथा वित्त विभाग के सम्बन्धित कर्मचारी उत्तरदायी होते है।
- **परीक्षा सम्बन्धी रिकार्ड :** सारणियन पंजिका, उपधियां, अंक प्त्र, जांची गयी उत्तर पुस्तिकाओं के अभिलेख, प्रवजन प्रमाण पत्र, परीक्षा का संचालन एवं परीक्षा सम्बन्धी गोपनीय प्रपत्र तथा परीक्षा संचालन से सम्बन्धित अन्य प्रपत्र इत्यादि। इसके लिए परीक्षा नियन्त्रक, उप कुलसचिव (परीक्षा), सहायक कुलसचिव (परीक्षा सामान्य/गोपनीय), कार्यालय अधीक्षक (परीक्षा सामान्य/गोपनीय) तथा परीक्षा विभाग के सम्बन्धित कर्मचारी उत्तरदायी होते हैं।
- **प्रशासन अनुभाग :** स्टेशनरी के रिकार्ड, उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद, कोटेशन, टेण्डर, स्टाक बुक, स्थापना सम्बन्धी रिकार्ड, नियुक्ति सम्बन्धित पत्रावलीयां तथा अन्य प्रशासनिक गतिविधियों सम्बन्धी रिकार्ड। इसके लिए कुलसचिव, उप कुलसचिव (प्रशासन), सहायक कुलसचिव (प्रशासन), कार्यालय अधीक्षक (प्रशासन), तथा सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित कर्मचारा उत्तरदायी होते है।
- **सम्पति अधिकारी :** विश्वविद्यालय के समस्त सम्पतियों (भूलेख) का लेखा-जोखा तथा केन्द्रीय स्टाक बुक का रख-रखाव करना। इसके लिए सम्पति अधिकारी एवं इस कार्यालय सम्बन्धित कर्मचारी उत्तरदायी होते हैं।
- **अभियन्त्रण विभाग :** विश्वविद्यालय के समस्त भवनों, सड़कों, विद्युत, पानी आदि की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार सम्बन्धी अभिलेख, नक्शें आदि। इसके लिए विश्वविद्यालय अभियन्ता तथा इस कार्यालय के सम्बन्धित कर्मचारी उत्तरदायी हैं।
- **छात्र कल्याण :** छात्रो से सम्बन्धित छात्रवृत्तियों के अभिलेख का रख रखाव। इसके लिए अधिष्ठाता,छात्र कल्याण तथा इस कार्यालय के सम्बन्धित कर्मचारी उत्तरदायी होते है।
- **छात्रावासों के अभिरक्षक/अधीक्षक :** छात्रावास से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का रख रखाव। इसके लिए अभिरक्षक/अधीक्षक एवं सम्बन्धित कर्मचारी उत्तरदायी होते है।
- **संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष :** संकाय/विभाग से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का रख रखाव व निष्पादन। इसके लिये संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष एवं इनके कार्यालय के सम्बन्धित कर्मचारी उत्तरदायी होते है।

- **केन्द्रीय ग्रन्थालय** : इसमें लगभग तीन लाख पुस्तके हैं जिसमें कुछ ऐसी पुस्तकें भी है जो अति महत्वपूर्ण होने के साथ ही साथ वर्तमान समय में अनुपलब्ध हैं। इसमें पुस्तकालयी कम्प्यूटरीकरण का संचालन किया जा रहा है इसके लिये ग्रन्थालयी एवं कार्यालय के सम्बन्धित कर्मचारी उत्तरदायी होते हैं।
- **कम्प्यूटर सेन्टर** : विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग में इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग सेल है, जिसमें परीक्षा सम्बन्धी व अन्य कार्य किये जाते है।

(vii) वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार मांगे जाने पर उपलब्ध सूचनाएं रु०१००/- (एक सौ मात्र) जमा करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दी जाती है। परीक्षा सम्बन्धी गोपनीय सूचना/प्रविष्टियां किसी को भी नहीं दी जाती हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई भी प्रतिबन्धित सूचना नहीं दी जाती है। ऐसी सूचनाए जो किसी निकाय द्वारा गोपनीय निर्देशित हो, किसी को नहीं दी जाती है, चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख किसी को नही बताए जाते है।

(viii) विश्वविद्यालय में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों को सम्पादित करने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियमों के प्राविधानों के अनुरुप निम्नलिखित निकाय गठित कियें गये हैं।

समितियों के नाम	कार्यवाही जो गोपनीय नहीं है	कार्यवाही जो गोपनीय है
१. कार्य परिषद्	सभी कार्यवाहियाँ	-
२. विद्या परिषद्	सभी कार्यवाहियाँ	-
३. वित्त समिति	सभी कार्यवाहियाँ	-
४. परीक्षा समिति	सभी कार्यवाहियाँ	परीक्षकों एवं प्राश्निकों का विवरण
५. प्रवेश समिति	सभी कार्यवाहियाँ	-
६. पाठ्यक्रम समिति	पाठ्यक्रम	परीक्षकों एवं प्राश्निकों का विवरण
७. शोध समिति	सभी कार्यवाहियाँ	परीक्षकों के पैनल में निर्दिष्ट नाम
८. खेलकूद परिषद्	सभी कार्यवाहियाँ	-
६. समकक्षता समिति	-	-
१०.आवास आवंटन समिति	-	-

नोट - उपर्युक्त समितियों के वे निर्णय नहीं दिखायें जाऐगें जिनके सम्बन्ध में सम्बन्धित को समिति द्वारा उसे गोपनीय रखने का निर्णय लिया है।

- **कार्य परिषद का गठन** :-
  - (1) कार्य परिषद में निम्नलिखित होगें-
  - (2) सदस्यों की पदावधि निम्नलिखित प्रकार होगी-
    - (क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,
    - (ख) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो,
    - (ग) दो संकायो के संकायाध्यक्ष, विहित रीति में चक्रानुक्रम से,

(घ) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रतिष्ठित चार व्यक्ति। (परन्तु इस प्रकार नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों में से, एक व्यक्ति ऐसा होगा, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो)

(3) कोई भी व्यक्ति, उपधार (1) के खण्ड (च) और खण्ड (छ) या खण्ड (ज) के अधीन, कार्य परिषद का लगातार दो से अधिक पदावधि के लिए सदस्य न होगा।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति कार्य परिषद के सदस्य के रूप में तब तक निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह स्नातक न हो।

(5) कोई भी व्यक्ति कार्य परिषद का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए अर्नह होगा यदि वह या उसका सम्बन्धी विश्वविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप से अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों पालन करने के लिये अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्र निवास या छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन अथवा प्राक्टर या ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिए कोई पारिश्रामिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण : इस धारा में, नातेदार का तत्पर्य कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा ६ में परिभाषित नातेदारी से है और इसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहन, भतीजा और भतीजी भी हैं।

कार्य परिषद की शक्तियाँ और कर्तव्य :-

(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :-

(i) विश्वविद्यालय की सम्पति तथा निधियों को धारण करना और उन पर नियन्त्रण रखना,

(ii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पति का अर्जन या अन्तरण करना,

(iii) परिनियमों तथा अध्यादेशो को बनाना,सशोंधित करना या निरस्त करना,

(iv) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालयों के व्ययनाधिकार से रखी हुई किसी निधि का प्रशासन करना,

(v) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना,

(vi) परिनियमों तथा अध्यादेशां के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधि-वृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक तथा अन्य पारितोषिक प्रदान करना,

(vii) विश्वविद्यालयों के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना और उनके पदों की अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना,

(viii) परीक्षको की फीस, उपलब्धियां तथा यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना,

(ix) (धारा ३७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए) किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकारों को प्रदान करना अथवा पहले से ही सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना,

(x) संस्थानो, सम्बद्ध,सहयुक्त और घटक महाविद्यालयों, छात्र निवास, छात्रावासों तथा छात्रों के अन्य निवास स्थानों के निरीक्षण का प्रबन्ध करना और निर्देश देना,

(xi) विश्वविद्यालय के सामान्य मुद्रा के आकार, प्रकार तथा प्रयोग के सम्बन्ध में निर्देश देना,

(xii) विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग तथा अन्य कर्मचारी वर्ग के सदस्यों में परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन को विनियमित तथा प्रवर्तित करना,

(xiii) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पति कारोबार तथा अन्य सभी प्रशासकीय कार्य-कलापों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझें।

(xiv) विश्वविद्यालय के किसी के धन को (जिसके अन्तर्गत न्यास तथा विन्यासित सम्पति से होने वाली कोई आये भी है) ऐसे

स्टाक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में जिन्हें वह समय समय पर ठीक समझे, अथवा भारत में स्थावर सम्पति क्रय करने में विनिर्हित करना और समय समय पर ऐसे विनिधान में परिवर्तन करना,

(xv) विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर तथा साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना,

(xvi) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और निरस्त करना,

(xvii) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय तथा घटक, सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित और निर्धारित करना।

(2) राज्य सरकार की पूर्व मन्जूरी के बिना कार्य परिषद बंन्धक, विक्रय, विनिमय, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम मं मासानुमास किराए पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न, सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिए कोई सहायता अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा राज्य सरकार की पूर्व मन्जूरी के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन या उधार अग्रिम लेगी।

(3) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा उपगत नहीं किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो, और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय (अथवा सिवाय राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार) कोई भी पद विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी भी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय में सृजित नहीं किया जायेगा।

(3-क) कार्य परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक के स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से सृजित कर सकती है कि ऐसा अध्यापक, जो तत्समय भारत या विदेश में शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य समानदेशन में राष्ट्रीय महत्व के किसी उत्तरदायी पद पर हो ऐसे अध्यापक के रूप परिनियमों के अनुसार अपना लियन (धारणाधिकार) और ज्येष्ठता बनायें रख सके और साथ ही अपने समानुदेशन की अवधि में पूर्ववत अपने वेतनमान वृद्धियां अर्जित कर सकें और भविष्य निधि में अशंदान कर सके और सेवानिवृत्ति के लाभ, यदि कोई हो, प्राप्त कर सके। (परन्तु ऐसे समानुदेशन की

अवधि के लिए ऐसे अध्यापक को विश्वविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा)

(4) विश्वविद्यालय या किसी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय या कोई सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्ते वही होंगें, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें।

(5) कार्य परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के लिए वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

(6) विद्या परिषद् और सम्बद्ध संकायों के परामर्श पर विचार किये बिना, कार्य परिषद् अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही करेगी।

(7) कार्य परिषद् सभा के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक् रूप से विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझे और सभा को यथास्थिति, की गयी कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की रिर्पोट देगी।

(8) कार्य परिषद् परिनियमों में अधिकथित किन्हीं शर्तो के अधीन रहतें हुए, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को, अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे प्रत्यायोजित कर सकेगी।

- **विद्या परिषद :** (1) विद्या परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य विद्या निकाय होगी औ इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए –

  (क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसंधान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियन्त्रण और साधारण विनियमन करेगी,

  (ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर, जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षओं से सम्बन्धित विषय भी हों, कार्य परिषद् को सलाह दे सकेगी और

  (ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होगें जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किए जाए।

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होगें–

(i) कुलपति,

(ii) सभी संकायो के संकायाध्यक्ष, यदि कोई हो,

(iii) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष और यदि विश्वविद्यालय में किसी विषय में कोई विभाग न हो तो सम्बद्ध संकाय में उक्त विषय का प्रतिनिधित्व करने वाला सम्बद्ध महाविद्यालयों से ज्येष्ठम अध्यापक,

(iv) विश्वविद्यालय के ऐसे सभी आचार्य, जो विभागाध्यक्ष न हो,

(v) घटक महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा संस्थानों के निदेशक,यदि कोई हो,

(vi) प्रत्येक घटक महाविद्यालयों से (यदि कोई हो) चक्रानुक्रम से, ज्येष्ठता–क्रम में, जो विहित रीति से अवधारित की जाएगी, दो आचार्य,

(vii) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के तीन प्राचार्य, जिनका विहित रीति से चक्रानुक्रम से, चयन किया जायेगा,

(viii) पन्द्रह अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जायेगा,

(ix) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष,

(x) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष,

(xi) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात पाँच व्यक्ति जो विहित रीति से सहयोजित किये जाये।
(''परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन गठित विद्या परिषद में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो से सम्बन्धित कोई सदस्य न हो तो कुलपति विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित दो सदस्य और नागरिको के अन्य पिछड़े वर्गो से सम्बन्धित दो सदस्य विहित रीति से चक्रानुक्रम से निर्दिष्ट करेगा'')

(3) धारा ६५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि वही होगी,जो विहित की जाय।

- **वित्त समिति :** (1) वित्त समिति में निम्नलिखित होगें –

(क) कुलपति,

(ख) प्रति – कुलपति (यदि कोई हो),

(ग) कुलसचिव,

(घ) कार्य परिषद द्वारा निर्वाचित ऐसा एक व्यक्ति जो कार्य परिषद या विद्या परिषद का सदस्य या विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या घटक महाविद्यालय में सेवा करने वाला व्यक्ति या किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का सदस्य या ऐसे महाविद्यालय की सेवा करने वाला व्यक्ति न हो, और

(ङ) वित्त अधिकारी जो समिति का सचिव भी होगा।

(2) वित्त समिति, कार्य परिषद को विश्वविद्यालय की सम्पति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए,आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद् पर आबद्धकर होगी,

(३) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य होंगे, जो अस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हो अथवा उस पर अधिरोपित किये जायें।

(४) जब तक कि वित्तीय परिणाम वाले किसी प्रस्ताव पर वित्त समिति की सिफारिश न हो तब तक कार्य परिषद् उस पर कोई निर्णय नहीं लेगी तथा यदि कार्य परिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो प्रस्ताव को असहमति कारणों सहित वित्त समिति को लौटा दिया जायेगा और यदि कार्य परिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से पुन५ असहमत होती है तो प्रकरण कुलाधिपति को सन्दर्भित किया जायेगा जिसका उस पर दिया गया निर्णय अन्तिम होगाा।

- **प्रवेश समिति :**

(१) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी जिसका गठन अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रू५ में होगा।

(२) प्रवेश समिति को उतनी उप–समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी जितनी वह ठीक समझे।

(३) विद्या परिषद् के अधीक्षणाधीन तथा उपधारा (५) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नीतियों को शासित करने वाले सिद्धान्तों या प्रतिमानकों को अधिकथित करेगी और विश्वविद्यालय द्वारा पोषित संस्थान या घटक महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रवेश प्राधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति या उप–समिति को भी नाम–निर्दिष्ट कर सकेगी।

(४) उपधारा (५) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति राज्य सरकार द्वारा पोषित घटक महाविद्यालयों में और सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए मापदण्ड या रीति (जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है) के सम्बन्ध में कोई निर्देश दे सकेगी और ऐसे निर्देश महाविद्यालयों पर आबद्धकर होंगे।

(५) इस अधिनियम के उपबन्धों में किसी अनय बात के होते हुए भी :–

(क) किसी विश्वविद्यालय, संस्थान, घटक महाविद्यालय, सम्बन्द्ध महाविद्यालय या सहयुक्त महाविद्यालय में अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा नागरिकों को पिछड़े वर्गो के छात्रों के लिए स्थानों (सीटों) का आरक्षण राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा बनाये गये आदेशों से विनियमित होगा।

परन्तु इस खण्ड के अधीन अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में आरक्षण कुल स्थानों (सीटों) की संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह और कि इस खण्उ के अधीन आरक्षण नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के उन श्रेणी पर भी लागू नहीं होगा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु आरक्षण) अधिनियम, १९९४ की अनुसूची २ से आच्छादित है।

(ख) मेडिकल (चिकित्सा) तथा अभियन्त्रण (इन्जीनियरिंग) में प्रवेश तथा शिक्षा की उपाधियों के पाठ्यक्रम में शिक्षण तथा आयुर्वेदिक या यूनानी पद्धति की औषधियों में (प्रवेश किये जाने वाले छात्रों की संख्या सहित) खण्ड (क) के अधीन ऐसे आदेश द्वारा विनियमित होंगे (जो भूतलक्षी प्रभाव रखते हो, परन्तु १ जनवरी, १९७९ के पूर्व प्रभावी न हो) जैसा राज्य सरकार इन निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करें। परन्तु इस खण्ड के अन्तर्गत प्रवेश को विनियमित करने वाला कोई

आदेश, अल्पसंख्यकों को उनकी इच्छा की शैक्षिक संस्था को सीापित तथा प्रशासित करने के अधिकार से असंगत न हो।

(ग) खण्ड (क) के अन्तर्गत कोई आदेश देने में राज्य सरकार निर्देश दे सकें कि कोई व्यक्ति जो जानबूझ कर उल्लंघन करने या प्रेरित करने या आदेश के प्रयोजनों को विफल करता है या करने का प्रयास करता है, तीन माह से अनाधिक के कारावास या रू० १०००/- से अनाधिक के जुर्माने से या दोनों से जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट हो, से दण्डनीय होगा।

(५-ए) उपधारा (५) के खण्ड (क) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश शीघ्र अतिशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के पटल पर रखा जायेगा तथा उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम १६०४ की धारा २३ क की उपधारा (१) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे उत्तर प्रदेश अधिनियम के आधीन निर्मित नियमावली पर लागू होते हैं।

(६) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी महाविद्यालय में प्रविष्ट किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी, और ऐसा उल्लंघन करके दिये गये किसी प्रवेश को रद्द करने की कुलपति की शक्ति होगी।

- **परीक्षा समिति :**

(१) विश्वविद्यालय की एक परीक्षा समिति होगी जो अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रू‍प में गठित की जायेगी।

(२) धारा ४२ की उपधारा (२) में यथा उपबन्धित के सिवाय समिति, साधारणतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसीमन तथा सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् -

(क) परीक्षकों तथा अनुसीमको को नियुकत करना तथा यदि आवश्यक हाक तो उन्हें हटाना,

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके बारे में विद्या परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना,

(ग) परीक्षा की पद्धति में सुधार के लिए विद्याा परिषद् से सिफारिस करना,

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्थापित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अन्तिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परीणामों की घोषणा करना।

(३) परीक्षा समिति उतनी उप-समितियाँ नियुक्त कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे और विशिष्टतया किसी एक या अधिक व्यक्तियों अथवा उप-समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बनध में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(४) इस अधिनियम के किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या, यथास्थिति, किसी उप-समिति या किसी व्यक्ति के लिए जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (३) के अधीन इस निमित्त शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं के किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी है।

(ix) विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं शिक्को की सूचना संलग्न है।

(x) विश्वविद्यालय में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान, भत्ते एवं अन्य सुविधायें, जो उनहें अनुमन्य हों, दी जाती हैं।

(xi) विश्वविद्यालय के सत्र २००५-०६ में प्रस्तावित आय-व्ययक के प्रावधानों का विवरण संलग्न है।

(xii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी०एस०आई०आर० व अन्य भारत सरकार के आयोगों से विभिन्नयोजनाओं हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है तथा प्रधान अन्वेषक के माध्यम सें उक्त धनराशि का उचित उपयोग किया जाता है। विभिन्न मेधावी छात्रों को नेट/जे०आर०एफ०/एस०आर०एफ० परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत होती होती हैं, उनका नियमानुसार वितरण किया जाता है।

(xiii) राज्य सरकार के यमाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के निर्धारित मानक पूर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं को शासन के निर्देशानुसार छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं तथा फीसों में आवश्यक छूट भी प्रदान की जाती है। साथ ही साथ शासन के निर्देशानुसार अन्य का पालन किया जाता है।

(xiv) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सूचनायें विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.mgkvp.ac.in उपलब्ध है।

(xv) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित तथा नियमानुसार उपलब्ध करायी जाने वाली सूचनायें विश्वविद्यालय कार्यालय समय पूर्वाहन १०:०० बजे से अपराहन ०५:०० बजे तक उपलब्ध करायी जाती है। विश्वविद्यालय का केन्द्रीय ग्रन्थालय प्रातः ०८:०० बजे से रात्रि ०८:०० बजे तक खुला रहता है, जिसमें केवल विश्वविद्यालय के छात्र/छात्रायें एवं शिक्षक ही अध्ययन कर सकते हैं। वाह्य व्यक्तियों के लिए इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(xvi) शासन द्वारा नामित सूचना अधिकारी डॉ० रमाशंकर राम, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,वाराणसी है। इनके कार्यालय का फोन एवं फैक्स नं० ०५४२-२२२२६८६ (O) ,२२२३०६६(R) .

(xvii) विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त प्रशासनिक एवं शैक्षणिक सूचनायें विभिन्न समाचार पत्रों एवं टी०वी० चैनलों एवं रेडियो पर दी जाती है।

कुलसचिव

संलग्न -

१ - कार्य परिषद् के सदस्यों की सूची -

२ - विद्या परिषद्, वित्त समिति, परीक्षा समिति एवं प्रवेश समिति के सदस्यों की सूची

३ - संकायाध्यक्षों की सूची

४ - विभागाध्यक्षों की सूची

५- बजट एक दृष्टि में

A आय पक्ष का सार

B व्यय पक्ष का सार

६ - संचालित पाठ्यक्रम - नियमित } शुल्क विवरण सहित

स्व०वित्त पोषित } शुल्क विवरण सहित